


# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

अदालत... सादी... जाति... बनाम... गोपसिंह / गोमरासिंह जाति... राजपूत  
 नि. - नागड़दा तह. - शिव नि. - नागड़दा तह. - शिव कौरा-५

किस्म मुकदमा... राजस्थान... अधि. मुकदमा नम्बर... 174... / 2020...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/11/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री... नरेन्द्र सिंह खियाडा (Adv.)... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... 188, 91... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 21/12/2020... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
21/12/20	<p>पत्रावली पेश हुई                      वादी अधिवक्ता अनु।                      पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के नोटिसों का इन्जार् होकर पत्रावली आइदा दि. 8/12/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
8/1/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई।                      आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं।                      अतः इतला होकर पत्रावली आइन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 21/1/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
10/1/21	<p>पत्रावली पेश हुई                      वादी अधिवक्ता अनु।                      प्रतिवादीगण के नोटिसों का इन्जार् होकर पत्रावली आइदा दि. 27/1/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	

रिपोर्ट  
की तारीख  
व जो  
06.08.25

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

06.08.25

पत्रावली पेश हुई।  
चादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के  
कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
दिनांक 03.08.25 को पेश हो।

3.9.25

पत्रावली पेश। चादी बगील अनुपस्थित।  
पत्रावली में उभावी चैरबी में हेतु न्यायालय  
लम्प में वासी व वासी बगील को रुक-रुककर  
आवाजे से जाने के बावजुद अनुपस्थित।  
पत्रावली में कोई उभावी चैरबी नहीं देने  
लम्प वासी व वासी बगील के अनुपस्थित  
रहने पर उम्त बाद सद्धम हाजरी व  
सद्धम चैरबी में तारिज किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से बम घेकर  
दाखिल दक्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) शिव